

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 306]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 8 जून 2022—ज्येष्ठ 18, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्र. एफ बी-04-03-2022-2-पांच (26).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, केन्द्र शासन / राज्य शासन / सार्वजनिक उपक्रम / लिक्विडेटर/ राज्य शासन के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत अन्य कोई इकाई द्वारा मध्यप्रदेश परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के पक्ष में मुद्राकरण के प्रयोजन से निष्पादित, व्यवसाय या पूंजी या अचल संपत्ति में कोई अधिकार के हस्तांतरण या अंतरण संबंधी दस्तावेज पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जून 2022

क्र. एफ बी-04-02-2022-2-पांच (26).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी-04-03-2022-2-पांच (26), दिनांक 8 जून 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 8th June 2022

No. F B-04-03-2022-2-V-(26).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, exempts stamp duty chargeable on any instruments for conveyance or transfer of a business or asset or right in any immovable property from departments of Central / State Government / PSU / Liquidator / other entities, which are under the administrative control of state Government in favor of Madhya Pradesh State Asset Management Company, for monetization purpose.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.